

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा
वित्त भवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर- 302005

(दूरभाष 0141-2740735, फैक्स 0141-2742309, ई मेल jacct.dta@rajasthan.gov.in)

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12495 / 5209

दिनांक :- 17-02-2020

कार्यालय आदेश

श्रीमती विमला खत्री [लिंक न. 12495] कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, बाडमेर को राजस्थान सेवा नियमों के नियम 96 के अंतर्गत असाधारण अवकाश (अवैतनिक) स्वीकृत किया जाता है।

दिनांक 10/07/2017 से 04/08/2017 तक 26 दिवस
(चिकित्सा प्रमाण पत्र के आधार पर)

कुल 26 दिवस

उक्त कुल 26 दिवस का असाधारण (अवैतनिक) अवकाश का इन्द्राज श्रीमती विमला खत्री की सेवा पुस्तिका में (लाल स्याही से) अनिवार्य रूप से अंकित करावे। साथ ही इन्हें दिनांक 08/07/2017, 09/07/2017, 05/08/2017, 06/08/2017, 07/08/2017 के राजपत्रित अवकाश के उपभोग की अनुमति दी जाती है।

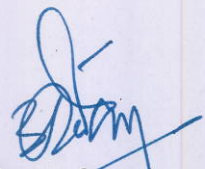

(मुकुन्द सोहोनी)
निदेशक

क्रमांक :- प4 (ई)/अलेसे III/निप लिंक न. 12495 / 5209

दिनांक :- 17-02-2020

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, बाडमेर
2. कोषाधिकारी बाडमेर
3. श्रीमती विमला खत्री कनिष्ठ लेखाकार कार्यालय कोषाधिकारी, कोष एवं लेखा विभाग, बाडमेर
4. अतिरिक्त निजी सचिव, निदेशक
5. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. रक्षित पत्रावली


(अरविन्द दीवान)
अतिरिक्त निदेशक (कार्मिक III)